न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

प्रकरण संख्या 15/21 दायरा दिनांक 18.03.2021

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

1. पंचमसिंह उम्र 24 वर्ष पुत्र स्व. मीलाल जाति सहरिया निवासी खुशालपुरा तहसील शाहाबाद जिला बांरा राजस्थान
2. विजयसिंह उम्र 19 वर्ष पुत्र स्व. मीलाल जाति सहरिया निवासी खुशालपुरा तहसील शाहाबाद जिला बांरा राजस्थान
3. सोना उम्र 30 वर्ष पुत्री स्व. मीलाल जाति सहरिया निवासी खुशालपुरा तहसील शाहाबाद जिला बांरा राजस्थान
4. लम्पाबाई उम्र 50 वर्ष पत्नि स्व. मीलाल जाति सहरिया निवासी खुशालपुरा तहसील शाहाबाद जिला बांरा राजस्थान

–वादीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहावाद जिला बांरा राजस्थान

–प्रतिवादी

वाद अंतर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक – 04.04.2024

उपस्थित– प्रार्थीगण की ओर से – श्री हेमराज नामदेव अभिभाषक
अप्रार्थी की ओर से – पेरोकार सरकार

प्रार्थनापत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 705/6 रकबा 5.00 बीघा ग्राम खुशालपुरा पटवार क्षेत्र शुभधरा तहसील शाहाबाद में स्थित है, जिसे दावे में विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त विवादित आराजी वादी कम 1 लगायत 3 के पिता व 4 के पति मीलाल पुत्र सुरजन व वादी कम 4 लम्पाबाई पत्नि मीलाल जाति सहरिया निवासी खुशालपुरा के नाम दिनांक 17.05.2006 को विधिवत् आवंटन की गई है। वक्त आवंटन आवेदन प्रपत्र 3 में वादीगण के पिता/पति आवंटी ने अपना नाम मीलाल दर्ज किया है, हस्ताक्षर भी मीलाल के नाम से किये गये हैं, परन्तु आवंटन फार्म में हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में मांगीलाल दर्ज कर दिया और लम्पा के स्थान पर लंफा पत्नि मांगीलाल गलत दर्ज कर दिया। दिनांक 22.11.09 को मीलाल की मृत्यु के बाद नामान्तरण दर्ज करने के लिये हल्का पटवारी से कहा तो उन्होने मांगीलाल नाम दर्ज होना बतलाते हुये नामान्तरण दर्ज करने से इनकार कर दिया, तब वादीगण को गलत नाम दर्ज होने का ज्ञान हुआ। वादीगण निरन्तर आवंटन समय से विवादित आराजी पर काबिज काश्त हैं और मीलाल के वारिसान होने से विवादित आराजी को अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2024.05.28 13:03:45 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी की ओर से जबाव पेश किया गया कि आराजी खसरा नंबर 705/6 रकबा 5.00 बीघा ग्राम खुशालपुरा में स्थित होना स्वीकार है। आवंटन प्रार्थनापत्र में वादीगण के पिता/आवंटी का नाम मीलाल दर्ज है, जबकि पटवारी रिपोर्ट में मांगीलाल व लंफा के नाम से रिपोर्ट है, राजस्व रिकार्ड व स्वयं के दस्तावेजों में भिन्नता होने के कारण नामान्तरण की कार्यवाही नहीं की जा सकती, आदि। प्रकरण में निम्न तनकी कायम की गई –

<u>आया आराजी खसरा संख्या 705/6 रकबा 5.00 बीघा ग्राम खुशालपुरा तहसील शाहावाद में स्थित है, जिसमें वादीगण अपने पिता/पति का नाम मांगीलाल के स्थान पर मीलाल तथा वादी क्रम 4 का नाम लंफा के स्थान पर लम्पाबाई दर्ज कराने की घोषणा के हकदार हैं ?</u>

वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में पी. डबलू 1 वादी लम्पाबाई के बयान दर्ज कराये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी ग्राम खुशालपुरा संवत 2072–75 प्रदर्श 1, मूल आवंटन आदेश प्रदर्श 2, नकल नामान्तरण नंबर 778 ग्राम खुशालपुरा प्रदर्श 3 तथा राशनकार्ड, आधारकार्ड लम्पाबाई पंचमसिंह सोनाबाई विजय, मृत्यु प्रमाणपत्र मीलाल तथा वारिस प्रमाणपत्र ग्राम पंचायत शुभघरा की प्रति पेश की गई। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण की ओर से प्रस्तुत नकल जमाबंदी प्रदर्श 1 अनुसार खसरा संख्या 705/6 रकबा 5.00 बीघा मांगीलाल पुत्र सुरजन लेका पत्नि मांगीलाल कोम सहरिया साकिन खुशालपुरा के नाम दर्ज है। वास्तव मे उक्त आराजी दिनांक 17.05.06 को आवंटन परामर्शदाता समिति मुकाम शुभघरा द्वारा दिनांक 17.05.06 को आवंटन की गई है, आवंटन आवेदन मीलाल सहरिया पुत्र श्री सुरजन निवासी खुशालपुरा के नाम से किया गया है, जिस पर अंकित हस्ताक्षर भी मीलाल के नाम से हैं, लेकिन रिपोर्ट पटवारी में मांगीलाल पुत्र सुरजन तथा लंफा पत्नि मांगीलाल अंकित है। वादी क्रम 4 के प्रस्तुत राशनकार्ड तथा आधारकार्ड में वादी/आवंटी का नाम लम्पाबाई पत्नि मीलाल दर्ज है, वादी क्रम 1 व 2 के आधरकार्ड की प्रति में उनके पिता का नाम मीलाल दर्ज है, मीलाल के मृत्यु प्रमाणपत्र में मीलाल पुत्र सुरजन दर्ज है तथा वारिस प्रमाणपत्र में मीलाल पुत्र सुरजन के वारिसान वादीगण को बतलाया गया है। इस प्रकार वादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से साबित है कि मीलाल पुत्र सुरजन ही मूल आवंटी रहा है, जिसकी पत्नि का नाम लम्पाबाई है। मीलाल की मृत्यु होना तथा वादीगण मीलाल के वारिसान होना साक्ष्य से भलिभांति प्रमाणित है। इस प्रकार वादीगण उक्त तनकी को प्रमाणित करने में सफल रहे हैं।

अतः उक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी. एक्ट व धारा 13[illegible] भू–राजस्व अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया [illegible] आराजी खसरा नम्बर 705/6 रकबा 5.00 बीघा ग्राम खुशालपुरा [illegible] शाहाबाद का खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2024.05.28 13:03:45 IST
Reason: SelfAttested

2024
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

CamScanner

घोषित किया जाता है तथा रिकार्ड में मांगीलाल के स्थान पर मीलाल व लेका के स्थान पर लम्पाबाई दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तदानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार शाहावाद को लिखा जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 04.04.2024 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

04.04.2024
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2024.05.28 13:03:45 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner